

# घोषणा

तम ग्राम होद तहसील खण्डेला जिला सीकर  
(राज) अवस्थित कृषि भूमि खानं 154 सम्पूर्ण  
का प्रतिवादी सं 6 को तथा खानं 156 रकबा  
0.89 है व खानं 157 रकबा 0.85 है में से  
1/6 हिस्सा का वादी को व 1/6 हिस्सा का  
प्रतिवादी प्रतिवादी सं 11 ता 13 को व 2/3 हिस्सा  
का प्रतिवादी सं 6 व 7 को तथा खानं 153  
रकबा 1.99 है में से प्रतिवादी सं 2 को 5/16  
हिस्सा का व प्रतिवादी सं 3 को 5/16 हिस्सा का व  
प्रतिवादी सं 5 को 1/16 हिस्सा  
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता  
है तथा उक्त खसरा नम्बरान से प्रतिवादी सं 1  
का नाम हजफु किया जाता है। उक्तानुसार  
राजस्व रेकार्ड में अमल कराया है तथा बाद  
पचा डिली मुक्ति है। पत्रावली केसल शुमार  
होकर नम्बर से कम है तथा बाद तहसील  
दाखिल दफतर है। यह निर्णय आज दिनांक 09/  
07/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

राकेश कुमर

(राकेश कुमर) अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

उपस्थित अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)